संदर्भ: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/318/12/2021

Ref: IRDAI/INT/CIR/MISC/318/12/2021

29 दिसंबर 2021 December 29, 2021

प्रति / To, सभी बीमा मध्यवर्ती / All Insurance Intermediaries

विषयः बीमा मध्यवर्तियों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं सहित बीमा मध्यवर्तिओं द्वारा अनेक बैंकों में चालू खातों का अनुरक्षण

Re: Maintenance of Current Accounts in multiple banks by Insurance Intermediaries including entities sponsored by them

- 1. यह पाया गया है कि बीमा मध्यवर्ती विभिन्न परिचालन स्तरों अर्थात् शाखा कार्यालयों, कारपोरेट कार्यालय, आदि पर विनियामक और अन्य प्रयोजनों के लिए बैंकों के पास कई चालू खाते रखते हैं। It has been observed that the insurance intermediaries maintain multiple current accounts with banks at different operational levels, i.e., Branch offices, Corporate office, etc., for regulatory and other purposes.
- 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने "बैंकों के द्वारा चालू खाते खोलना अनुशासन की आवश्यकता" के संबंध में अपने परिपत्र संदर्भः आरबीआई/2020-21/20 डीओआर सं. बीपी.बीसी./7/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त 2020 के द्वारा बैंकों को अनुदेश दिये हैं कि वे उन ग्राहकों के लिए चालू खाते न खोलें जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से नकदी ऋण (सीसी) / ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं। समीक्षा करने के बाद, अपने परिपत्र संदर्भः आरबीआई/2020-21/79 डीओआर सं. बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 दिनांक 14 दिसंबर 2020 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशिष्ट खाते खोलने के लिए बैंकों को अनुमित दी है जो उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार रखे गये किसी प्रतिबंध के बिना विभिन्न संविधियों और अन्य विनियमनकर्ताओं/ विनियामक विभागों के अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित हैं।

RBI, vide its circular ref: RBI/2020-21/20 DOR.No.BP.BC/7/21.04.048/2020-21 dt. 6th Aug. 2020 on "Opening of Current Accounts by Banks – Need for Discipline", has instructed banks not to open current accounts for customers who have availed credit facilities in the form of cash credit (CC) / overdraft (OD) from the banking system. On a review, vide its circular ref: RBI/2020-21/79 DOR.No.BP.BC.30/21.04.048/2020-21 dt. 14th December 2020, RBI has permitted banks to open specific accounts which are stipulated under various statutes and instructions of other regulators/ regulatory departments, without any restrictions placed in terms of the above mentioned circular.

- 3. बैंकों के पास चालू खाते रखने में बीमा मध्यवर्तियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों, यदि कोई हों, से बचने के लिए प्राधिकरण को प्राप्त अनुरोधों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित बीमा मध्यवर्ती उनके द्वारा प्रायोजित संस्थाओं सिहत, विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करने, पुनर्बीमा व्यवसाय, आदि के प्रयोजन के लिए उपयुक्त संख्या में बैंकों के पास चालू खाते रख सकते हैं जो प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों में दी गई शर्तों के अनुरूप हैं। Based on the requests received by the Authority, to avoid hardships, if any, faced by the insurance intermediaries in maintaining current accounts with banks, it is clarified that the respective insurance intermediaries including entities sponsored by them may maintain current accounts in appropriate number of banks for the purpose of meeting regulatory requirements, reinsurance business, etc. that are in line with conditions given in regulations, guidelines, circulars issued by the Authority.
- 4. बीमा मध्यवर्ती अनेक चालू खाते रखने और अपेक्षित रूप में युक्तियुक्तता, यदि कोई हो, की आवश्यकता की वार्षिक तौर पर समीक्षा करेंगे।

The insurance intermediaries shall review annually the need for having multiple current accounts and rationalization, if any, as may be required.

5. यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

This circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14(2)(e) of the IRDA Act, 1999.

हस्ता./- / Sd/-(एस एन राजेस्वरी / S N Rajeswari) सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)